

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रयासों में सरकार को किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है।

**उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन):** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान उत्पादन तथा रोजगार के संदर्भ में उपलब्धियों के साथ-साथ खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से निम्नलिखित मुख्य कृषि आधारित उद्योगों को आरंभ किया गया है:—

क्र.सं. योजना	उत्पादन (अनुमानित) (लाख में) (करोड़ रु० में)	रोजगार
1. मधुमक्खी पालन	14.81	1.95
2. धानी तेल	360.00	0.90
3. गुड़ और छाण्डसारी	212.88	2.14
4. खजूर का गुड़	172.41	12.08
5. अनाज तथा दालों का प्रसंस्करण	352.00	2.45
6. फल एवं सब्जी तथा सुरक्षित रखना	32.61	0.32
7. फाइबर	132.75	3.18

(ग) इन कृषि आधारित उद्योगों के लिये कार्यक्रम को पंजीकृत संस्थानों, सहकारी समितियों, राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों तथा राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्डों से जुड़े व्यक्तियों की सहायता से भी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

**जयपुर में खान कर्मकारों का सम्मेलन**

**2226. श्री सोमपाल:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सितंबर, 1994 में जयपुर में खान कार्य और खान कर्मकारों की समस्याओं के संबंध में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था।

(ख) यदि हां, तो उस सम्मेलन में की गयी चर्चा के मुख्य मुद्दे क्या थे और क्या-क्या सिफारिशें की गयी थीं;

(ग) क्या सरकार सम्मेलन में व्यक्त किए गए इन विचारों से सहमत है कि खानों के समीप स्थिति गांवों की ग्राम सभाओं और पंचायतों को खान व्यापार (व्यवसाय) और खान मजदूरों के कल्याण तथा पर्यावरणीय प्रभावों से संबंधित मामलों के संबंध में प्रभावी भूमिका अदा करने दी जाये;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**इस्पात मंत्री तथा खान मंत्री (श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य):** (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए कार्यक्रम**

**2227. श्री जगन्नाथ सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 से 1994-95 के दौरान बाल श्रमिकों की वर्ष-वार संख्या कितनी रही; और

(ख) बाल श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

**श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम):** (क) 1981 की जनगणना के अनुसार देश में बाल श्रमिकों की संख्या 13.6 मिलियन थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 43वें दौर के अनुसार, देश में कामकाजी बालकों की संख्या 17.02 मिलियन थी। जबकि 1991 की जनगणना के अनुसार बाल श्रमिकों से संबंधित आंकड़े अभी जनगणना पहापंजीयक द्वारा उपलब्ध कराए जाने हैं, अनुमान है कि वर्तमान में कामकाजी बालकों की संख्या 20.00 मिलियन है।

(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम नीति, 1987 के अनुसार बाल श्रम की समस्या को (i) विधान (ii) बालकों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम, और (iii) राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से निपटाया जा रहा है।

7 व्यवसायों और 18 प्रक्रियाओं में बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने के लिए पहले ही बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 नामक एक व्यापक कानून विद्यमान है। इसके अतिरिक्त, बालकों के